

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या -741/2011/उदयपुर

मैसर्स रेवथी इक्यूपमेन्ट लिमिटेड, उदयपुर

.....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवचन द्वितीय कोटा

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री के.एल. चंघावत

अभिभाषक।

श्री अनिल पोखरणा

उप-राजकीय अभिभाषक


.....अपीलार्थी की ओर से.

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 06.08.2018


निर्णय

1. उक्त अपील अपीलार्थी द्वारा अपीलीय उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर विभाग उदयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा गया है) के अपील सं. 41/वैट/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 23.12.2010 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 76(6) के तहत प्रस्तुत की गयी है।
2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापचन द्वितीय, कोटा (जिसे आगे "सक्षम अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 19.03.2009 को झालावाड़ कोटा रोड़ पर अनन्दपुरा में वाहन संख्या RJ 14 2G 3786 की जांच की गयी। वाहन में कोयम्बटुर से आगुचा के लिये 19 ड्रिलिंग पाटर्स परिवहन किये जा रहे थे। माल के साथ बिल बिल्टी व वेट-47 फार्म नं. 3423755 इत्यादि मौजूद थे। चूंकि परिवहनित माल अधिसूचित माल की श्रेणी में आता है। इसलिये घोषण प्रपत्र वेट-47 होना अनिवार्य था। परन्तु जो वेट-47 फार्म नं. 3423755 संलग्न पाया गया था। वह अपीलार्थी फर्म द्वारा मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लि. को जारी किया हुआ था। अपीलार्थी ने नोटिस के जवाब में यह कथन किया है कि परिवहनित माल स्टॉक ट्रॉसफर था तथा लिपिकीय भूल से गलत वेट 47 संलग्न कर दिया गया था। जवाब के साथ अपीलार्थी द्वारा दिनांक 27.08.2008 को जारी वेट 47 पेश किया गया जिसे सक्षम अधिकारी ने बाद विचार (After thought) मानकर जवाब को अस्वीकार कर आदेश दिनांक 27.03.2009 द्वारा शास्ति का आरोपण किया गया। सक्षम अधिकारी के शास्ति आरोपण आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा सक्षम अधिकारी के आदेश की पुष्टि की गयी। अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 23.12.2010 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी।



लगातार.....2.


3. उभयपक्षीय बहस सुनी गई।
4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपीलीय आदेश व सक्षम अधिकारी के आदेश का खण्डन करते हुए कथन किया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा माल का स्टॉक ट्रॉसफर किया जा रहा था तथा केवल लिपिकीय भूल से दुसरा वेट 47 परिवहनित माल के साथ संलग्न हो गया था। जवाब के साथ सक्षम अधिकारी के समक्ष सही वेट-47 फॉर्म प्रस्तुत कर दिया गया था। परन्तु समक्ष अधिकारी द्वारा इसे अस्वीकार करते हुए शास्ति का आरोपण किया गया। अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा इसे बाद की सोच (after thought) मानते हुए अपील को अस्वीकार कर अविधिक आदेश पारित किया गया। जबकि लिपिकीय त्रुटि से गलत वेट-47 माल के दस्तावेज के साथ संलग्न हो गया तथा सही वेट-47 जवाब के साथ प्रस्तुत किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी की करापवंचन की कोई मंशा नहीं थी। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत मैसर्स डी.पी. मैटल्स 124 एस.टी.सी. 611 में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार नोटिस के जवाब के साथ वेट-47 प्रस्तुत करने पर शास्ति आरोपित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। अतः अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी व सक्षम अधिकारी के आदेश को अपास्त कर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।
5. राजस्व के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि परिवहनित माल अधिसूचित वस्तु था तथा इसके साथ वेट 47 होना आवश्यक था। वक्त चैकिंग माल प्रभारी द्वारा जो वेट 47 पेश किया गया। वह मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लि. उदयपुर का था, जो कि परिवहनित माल से संबंधित नहीं था। जवाब के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वेट 47 प्रस्तुत किया जाना बाद विचार (After thought) है। अतः परिवहनित माल के लिये नियम 53 की पालना नहीं हो पाने से अधिनियम की धारा 76(6) के तहत सक्षम अधिकारी द्वारा शास्ति आरोपित किये जाने में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं की है। तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त आदेश को उचित मानते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। सक्षम अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों में हस्तक्षेप करने का कोई आधार विध्यमान नहीं है। अपने उक्त कथनों के साथ विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश को यथावत रख कर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।
6. उभयपक्षीय बहस सुनी गई तथा रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया।
7. वर्तमान प्रकरण में सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 19.03.2009 को झालावाड़ कोटा रोड़ पर अनन्दपुरा में वाहन संख्या RJ 14 2G 3786 की जांच की गयी। वाहन में



लगातार.....3.

कोयमवटुर से आगुचा के लिये 19 डिलिंग पाटर्स परिवहन किया जा रहा था। परिवहनित माल के साथ बिल बिल्टी व वेट-47 फार्म नं. 3423755 इत्यादि मौजूद थे। परिवहनित माल अधिसूचित माल की श्रेणी का होने के कारण वेट-47 होना आवश्यक है। किन्तु परिवहन के दौरान जो वेट-47 फार्म नं. 3423755 पाया गया वह अपीलार्थी फर्म द्वारा मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लि. को जारी किया हुआ था। इसके संबंध में अपीलार्थी का नोटिस के जवाब में यह कथन है कि परिवहनित माल स्टॉक ट्रॉसफर था तथा लिपिकीय भूल से गलत वेट 47 संलग्न कर दिया गया था। अपीलार्थी द्वारा नोटिस के जवाब के साथ दिनांक 27.08.2008 को जारी वेट 47 पेश किया गया जिसे सक्षम अधिकारी ने बाद विचार (After thought) मानकर शास्ति का आरोपण किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यही बचाव (defence) लिया गया है कि माल का स्टॉक ट्रॉसफर किया जा रहा था। लिपिकीय त्रुटि से गलत वेट-47 माल के दस्तावेज के साथ संलग्न हो गया था जबकि सही वेट-47 जवाब के साथ प्रस्तुत किया जा चुका है।

8. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी ने नोटिस के जवाब के साथ दिनांक 27.08.2008 को जारी वेट 47 प्रस्तुत करने से अपीलार्थी का मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत मैसर्स डी.पी. मैटल्स 124 एस.टी.सी. 611 में प्रतिपादित सिद्धान्त से आच्छादित है। यहां यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान प्रकरण में दिनांक 19.03.2009 वाहन की जांच में उसमें परिवहनित अधिसूचित माल के साथ बिल बिल्टी व वेट-47 फार्म नं. 3423755 पाया गया वह अन्य फर्म को जारी किया हुआ था। इसके संबंध में अपीलार्थी का यह कथन है कि परिवहनित माल स्टॉक ट्रॉसफर था तथा लिपिकीय भूल से गलत वेट 47 संलग्न कर दिया गया था। अपीलार्थी द्वारा नोटिस के जवाब के साथ दिनांक 27.08.2008 को जारी वेट 47 प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार जवाब के साथ वेट-47 फार्म जो कि जांच की दिनांक से पूर्व जारी किया हुआ था, प्रस्तुत कर दिया गया था। अतः अपीलार्थी फर्म की करापवंचन की मंशा प्रकट नहीं होती है। अपीलार्थी का प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत मैसर्स डी.पी. मैटल्स 124 एस. टी.सी. 611 में प्रतिपादित सिद्धान्त से आच्छादित होने से उक्त अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति व अपीलीय अधिकारी द्वारा उसकी पुष्टि करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित किये जाने से अपीलीय अधिकारी का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।
9. परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा सक्षम अधिकारी का आदेश दिनांक 27.03.2009 तथा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 23.12.2010 अपास्त किया जाता है।
10. निर्णय सुनाया गया।


(राजीव चौधरी)
सदस्य